

पत्रांक:- 18/6/19

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

मुज०

दिनांक - 12/9/19

विषय: चिकित्सक/शिक्षको के संविदा अवधि विस्तार के संबंध में ।
महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या - 614 (17) दिनांक - 05.09.2018 के आलोक में निहित शर्तों के अधीन डॉ० सुजीत कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा), ई०एन०टी० विभाग एवं डॉ० पंकज कुमार पटेल, सह-प्राध्यापक (संविदा), पैथोलौजी विभाग का संविदा अवधि दिनांक - 04.09.2019 के अप० में पूर्ण हो गया है ।

विदित हो कि एम०सी०आई० के आगामी सम्भावित निरीक्षण (दर्शायें गए कमी को देखते हुए) एवं कॉलेजहित/मरीजहित के मद्देनजर डॉ० सुजीत कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा), ई०एन०टी० विभाग की संविदा अवधि, आपके आदेश की प्रत्याशा में अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की गई है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के मद्देनजर संबंधित चिकित्सको/शिक्षकों की संविदा अवधि विस्तार संबंधी आदेश निर्गत करने का कष्ट किया जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाईकी जा सके । विभागीय निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में ही उक्त चिकित्सको/शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाएगी ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन



प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर



पत्रांक:- ~~1816/19~~ 1816/19

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

मुज०

दिनांक - 12/9/19

विषय: चिकित्सक/शिक्षको के संविदा अवधि विस्तार के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या - 614 (17) दिनांक - 05.09.2018 के आलोक में निहित शर्तों के अधीन डॉ० सुजीत कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा), ई०एन०टी० विभाग एवं डॉ० पंकज कुमार पटेल, सह-प्राध्यापक (संविदा), पैथोलौजी विभाग का संविदा अवधि दिनांक - 04.09.2019 के अप० में पूर्ण हो गया है ।

विदित हो कि एम०सी०आई० के आगामी सम्भावित निरीक्षण (दर्शाये गए कमी को देखते हुए) एवं कॉलेजहित/मरीजहित के मद्देनजर डॉ० सुजीत कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा), ई०एन०टी० विभाग की संविदा अवधि, आपके आदेश की प्रत्याशा में अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की गई है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के मद्देनजर संबंधित चिकित्सको/शिक्षकों की संविदा अवधि विस्तार संबंधी आदेश निर्गत करने का कष्ट किया जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाईकी जा सके । विभागीय निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में ही उक्त चिकित्सको/शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाएगी ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

- 1 सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके अधिसूचना संख्या - 614 (17) दिनांक - 05.09.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 2 बरसर/लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 3 विभागाध्यक्ष, ई०एन०टी० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 4 डॉ० सुजीत कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा), ई०एन०टी० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 5 कॉलेज वेबसाईट ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर